न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2016-00146RAAJodhpur2016-124RTA223 Shankarlal ors Vs Satyanarayan etc

01. *शंकरलाल पुत्र हरींगाराम उर्फ हीराराम*
02. *दानाराम पुत्र हरींगाराम उर्फ हीराराम*
03. *मोहनराम पुत्र हरींगाराम उर्फ हीराराम*
04. *भंवरलाल पुत्र हरींगाराम उर्फ हीराराम*
05. *जमना पत्नी हरींगाराम उर्फ हीराराम*
06. *दुडुराम पुत्र गोरखाराम*
07. *मनोहरराम पुत्र गोरखाराम*
08. *गोपीलाल पुत्र बरसिंगाराम उर्फ बरूराम*
09. *मगनाराम पुत्र बरसिंगाराम उर्फ बरूराम*
10. *लिछमी बेवा मलुराम*
11. *जगदीश पुत्र मलुराम*

जातियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम ढाका नगर, (डाबर) तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. *सत्यनारायण पुत्र श्री जगमालराम*
2. *अशोक कुमार पुत्र श्री जगगालराम*
3. *प्रेमकुमार पुत्र श्री जगमालराम*
4. *मगनाराम पुत्र श्री पनाराम फौत के कायम मुकामः -*
   4.1. *लक्ष्मी पत्नी मगनाराम*
   4.2. *जोगाराम पुत्र मगनाराम*
   4.3. *श्रवण पुत्र मगनाराम*

   जतियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम लुम्बाराम नगर (डाबलीया) तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
5. *अमराराम पुत्र बरसिंगाराम*
6. *भंवरी पुत्री मलुराम*
7. *रूकमा पुत्री मलुराम*
8. *कमला पुत्री मलुराम*
9. *सोनी पुत्री मलुराम*
10. *उर्मिला पुत्री मलुराम*

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण ग्राम ढाका नगर (डाबर) तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

11.*राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट।*

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 सितंबर 2007 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 97/2005 जगमालराम बनाम हरिंगाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 10 जून 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 97/2005 अनवान जगमालराम बनाम हरिंगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 सितंबर 2007 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 नवंबर 2016 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सख्या एक से तीन के पिता एवं रस्पोडेन्ट संख्या चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी मूल गांव लोहावट विशनावास वर्तमान राजस्व ग्राम डाबर के खसरा नं0 589 रकबा 30 बीघा 16 बिस्वा के संबंध में घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 39 सितंबर 2007 को अपीलाधीन

निर्णय एवं डिक्री जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई।अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार रहे है। सभी अपीलार्थीगण के नोटिसो को फर्जी तरीके से तामील करवा कर पेश कर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त फर्जी तामील को गलत रूप से पर्याप्त मानते हुए उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 589 वक्त बन्दोबस्त जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ, उस समय अपीलार्थीगण के पूर्वज गोरखाराम के नाम से दर्ज हुई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता चार का इस भूमि पर कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं रहा तथा न ही उन्हे किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार अर्जित हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वक्त बन्दोबस्त की एन्ट्री को बिना अपीलान्ट को सुने निरस्त करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता पांच ने जानबुझ कर तामील कुनिंदा से मिलीभगती कर अपीलान्ट्स की फर्जी तामील करवाकर एक तरफा निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली, जबकी कानूनन उन्हें इस खसरे में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता। इस भूमि पर केवल अपीलान्ट का ही वक्त बन्दोबस्त से लेकर आज दिन तक कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा उसकी पीढीयों से ढाणीया बनी हुई है। जिस समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु हुआ, उस समय अपीलान्ट के पुर्वज गोरखाराम का ही कब्जा एवं काश्त होने के कारण मिसल बन्दोबस्त में गोरखाराम अकेले का ही नाम खातेदारी में दर्ज हुआ तथा उन्हे ही खातेदारी अधिकार अर्जित हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल बन्दोबस्त के विपरित जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता चार को खातेदार घोषित करने में कानूनी भूल की है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को अपीलाधीन वाद में सुनवाई का बिना कोई अवसर दिये रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता चार ने अपीलार्थीगण के नोटिसो को फर्जी तामील करवा कर पेश करवा दी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्ही नोटिसो को सहीं मानते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित कर दिया गया, जबकि अपीलान्ट वक्त बन्दोबस्त से लेकर आज दिन तक रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर पीढीयों से उनकी ढाणीया बनी हुई है। अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है। अभी हाल ही में अपीलार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से खसरा नं0 589 की जमाबन्दी की नकल ली तो उस जमाबन्दी में 1/3 हिस्से मे रेस्पोडेन्ट सख्या एक ता पांच का नाम दर्ज था। इसका कारण पुछने पर हल्का पटवारी ने कहां की इनका नाम नामान्तरकरण संख्या 218 से दर्ज हुआ है तथा वह नामान्तरकरण न्यायालय के निर्णय से दर्ज हुआ है। नामान्तरकरण संख्या 218 की नकल लेकर अपीलार्थी फलोदी न्यायालय में अपने अधिवक्ता से मिला तो अधिवक्ता ने कहा कि उक्त पत्रावली रेकर्ड शाखा जोधपुर में जमा है। तब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.11.2016 को नकल हेतु आवेदन किया वह नकल प्राप्त होने पर दिनांक 08.11.2016 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलार्थीगण को नकल प्राप्त होने पर इसकी प्रथमबार जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह अपीलान्ट्स को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए तनकीयात कायम की जाकर मामले का गुणावगुण पर पुन निर्णय करे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वक्त बंदोबस्त से पूर्व सन् 1999 की खतौनी में रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार रहे है। वक्त सेटलमेंट रेस्पोडेंट्स का नाम हटा दिया गया, जिसके बाबत वादीगण/रेस्पो. की ओर से वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की राजस्व रेकर्ड में पालना होने के बाद हरिंगाराम के विरासतन नामांतरकरण के जरिये उनके वारिसान्/अपीलांट्स का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के समय अपीलांट्स को अपीलाधीन आराजी के राजस्व रेकर्ड की जानकारी रही है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स को परेशान करने के उद्धेश्य से हस्तगत अपील म्याद बाहर पेश की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र में कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर फर्जी तामील करवाते हुए एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री जारी की गई तथा हाल ही में खसरा नंबर 589 की जमाबंदी की नकल लेने पर वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से में रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच का नाम दर्ज होने पर पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 218 के जरिये उक्त व्यक्तियों का नाम दर्ज होने की जानकारी दी गई। अपीलांट के

अधिवक्ता के उक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को भेजे गये सम्मनों की पावति रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त सम्मन अपीलांट्स स्वयं/उनकी माता से सम्यक रूप से तामील होने के उपरांत विचारण न्यायालय को प्राप्त हुए है, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाना प्रकट होता है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना प्रकट होता है। अदालत हाजा रेस्पो. के इस कथन से सहमत है कि खातेदार हरिंगाराम के फौतेदगी नामांतरकरण के वक्त अपीलांट्स को राजस्व रेकर्ड का ज्ञान रहा होगा। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने की लंबी अवधि बाद हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित पायी जाती है।

पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन किये जाने के पश्चात यह पाया जाता है कि प्रदर्श ई.एक्स.पी-1 खतौनी मौजा लोहावट वीसनायाला परगना फलोदी संवतः 1999 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 589 रकबा 30.16 बीघा लुंबा ने पना बेटा गुला रा बहिस्सा बराबर, गोरखीयों बेटो सालुरो ने खुमीयों बेटो फुसारा बहिस्सा बराबर, काछबो बेटो मोती रो ने खमीयों बेटो भोमारो बहिस्सा बराबर जातरा बीसनोई राव वासी गांव रा के नाम से दर्ज रही है। वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी केवल गोरखा वल्द सालू के नाम ही दर्ज किया जाना प्रकट होता है, जिसकी ताईद प्रथम जमाबंदी संवतः 2012-2031 प्रदर्श ई.एक्स. पी-5 से होती है। कानूनन पूर्व दर्ज खातेदारान् का नाम वक्त सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान बिना किसी सक्षम आदेश/आधार के नहीं हटाया जा सकता है। अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत

है कि बंदोबस्त अधिकारियों को खातेदारी बदलने का अधिकार नहीं था। वादीगण का वाद दस्तावेजी एवं जबानी साक्ष्य से साबित होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह्न के बयानों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। इन परिस्थितियो में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में गुणावगुण पर कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूलवाद संख्या 97/2005 अनवान जगमालराम व अन्य बनाम हरींगाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29 सितंबर 2007 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर